भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2360

(जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947(शक को दिया जाना है)

उपकर और अधिभार संग्रह में वृद्धि

2360. सुश्री सयानी घोष :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 2014 से विभिन्न उपकरों और अधिभारों से संग्रह में पर्याप्त वृद्धि हुई है, यदि हाँ, तो कुल उपकर और अधिभार संग्रह का ब्यौरा क्या है और कुल कर पूल में उनका प्रतिशत हिस्सा वर्ष-वार कितना है;

(ख) क्या विभाज्य पूल से बाहर होने के कारण उपकर और अधिभार से राज्यों को अंतरित किए जाने वाले कर हिस्से में कमी आई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार ने राज्य के वित्त पर इसके राजकोषीय प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत संगृहीत लेकिन व्यय नहीं की गई उपकर और अधिभार की कुल राशि कितनी है और इतनी बड़ी अप्रयुक्त शेष राशि के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार समान राजकोषीय वितरण सुनिश्चित करने के लिए अप्रयुक्त उपकर और अधिभार निधि का एक हिस्सा राज्यों को जारी, उनके साथ साझा करने या इन शुल्कों को विभाज्य पूल में वापस लाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रमुख उपकरों और अधिभारों (वर्तमान में लागू) के संग्रह का वर्षवार विवरण और सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में उनका हिस्सा अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है।

(ख): करों का हिस्सा राज्यों को क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशोंके आधार पर अंतरित किया जाता है। विभाज्य पूल के प्रतिशत के रूप में, राज्यों को अंतरित कर का हिस्सा 2014-15 में 32% से बढ़कर 2025-26 में 41% हो गया है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से राज्यों को किए गए अंतरण का वर्षवार विवरण अनुलग्नक 'ख' के रूप में संलग्न है।

(ग): भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार उपकरों और अधिभारों से प्राप्त आय एकत्र की जाती है और भारत की संचित निधि में जमा की जाती है। भारत की संचित निधि में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शेष राशि जमा हो जाती है**,** जिसका अर्थ है कि भारत की संचित निधि में उपकरों की व्यय न की गई कोई भी शेष राशि मौजूद नहीं है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के बाद से प्रमुख उपकरों के तहत संग्रह और उपयोग का विवरण अनुलग्नक **'**ग**'** के रूप में संलग्न है।

(घ): संघ और राज्यों के बीच लगाए और वितरित किए जाने वाले कर भारत के संविधान के अनुच्छेद 270(1) द्वारा शासित होते हैं। यह अनुच्छेद उपकरों और अधिभारों को संघ और राज्यों के बीच वितरण से छूट देता है और इसलिए ये विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं हैं। राजकोषीय संघवाद की सच्ची भावना के अनुरूप, भारत सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक कर अंतरण की 2 अतिरिक्त किश्तें (भारत सरकार ने अब तक 9 किश्तों के बजाय 11 किश्तें जारी की हैं) जारी की हैं।

****

अनुलग्नक क

मुख्य करों के हिस्से के रूप में लगाए और संग्रह किए गए उपकरों और अधिभारों का विवरण

(करोड़ ₹ में)

क्रमांक	कर और कर प्राप्ति शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	संशोधित आकलन 2024-25	बजट आकलन 2025-26
लागू उपकर:													
1	कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर	...	...	...	...	...	...	...	76950.68	74142.03	80923.60	75180.00	80030.00
2	कच्चे तेल पर उपकर	14655.05	14310.69	12618.31	13579.21	17814.23	14062.49	10894.44	19353.84	21497.14	18803.41	17810.00	19330.00
3	निर्यात पर उपकर	1179.06	122.39	177.21	384.56	1690.23	5759.14	9214.64	1457.10	852.44	-3.19	10.00	11.00
4	स्वास्थ्य उपकर	...	...	...	...	...	...	-13.52	31.02	24.01	22.90	30.00	35.00
5	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	...	...	...	...	41177.44	39131.10	35821.55	52732.33	61809.29	71156.96	85300.00	94000.00
6	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क	3732.55	5172.93	6426.20	2938.44	1797.80	2380.44	5098.81	6138.30	7168.30	7812.25	9610.00	10380.00
7	सड़क और अवसंरचना उपकर*	25121.95	69539.98	72399.53	83132.29	110847.16	122424.32	235782.55	195986.96	59234.95	44552.49	45250.00	47420.00
क	**कुल (1 से 7)**	**44688.61**	**89145.99**	**91621.25**	**100034.50**	**173326.86**	**183757.49**	**296798.47**	**352650.23**	**224728.16**	**223268.42**	**233190.00**	**251206.00**
जीटीआर के संबंध में उपकर **[जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के बिना]***के हिस्से का %*		*3.6%*	*6.1%*	*5.3%*	*5.2%*	*8.3%*	*9.1%*	*14.6%*	*13.0%*	*7.4%*	*6.4%*	*6.1%*	*5.9%*
ख	माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर	...	...	...	62611.59	95080.71	95553.09	85191.91	104768.66	125862.41	141436.16	153440.00	167110.00
ग	**कुल (क+ख)**	**44688.61**	**89145.99**	**91621.25**	**162646.09**	**268407.57**	**279310.58**	**381990.38**	**457418.89**	**350590.57**	**364704.58**	**386630.00**	**418316.00**
जीटीआर के संबंध में उपकर के हिस्से का %		-	-	-	3.3%	4.6%	4.8%	4.2%	3.9%	4.1%	4.1%	4.0%	3.9%
अधिभार:													
1	निगम कर	14302.20	17754.06	20109.73	21439.48	25448.59	19053.92	14078.57	15890.00	55103.79	60373.34	60000.00	70000.00
2	निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	1400.10	1565.16	2298.97	3211.77	4291.69	5236.92	5537.78	7922.88	53914.24	54793.80	76000.00	85000.00
3	फ्रिंज बेनिफिट टैक्स	0.04	0.03	0.01	...	0.01	...	0.37	...	...	...	...	...
4	सीमा शुल्क के अंतर्गत सामाजिक कल्याण अधिभार	...	...	...	1221.88	8871.19	8796.12	13447.39	16945.06	16178.79	16273.41	17250.00	17500.00
घ	**कुल (1 से 4)**	**15702.34**	**19319.25**	**22408.71**	**25873.13**	**38611.48**	**33086.96**	**33064.11**	**40757.94**	**125196.82**	**131440.55**	**153250.00**	**172500.00**
जीटीआर के संबंध में उपकर के हिस्से का %		1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.9%	1.6%	1.6%	1.5%	4.1%	3.8%	4.0%	4.0%

**इसमें पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शामिल है, जिसे 'सड़क और अवसंरचना उपकर लागू होने से पहले 'सड़क उपकर' के नाम से जाना जाता था।*

अनुलग्नक ख

वित्तीय वर्ष 2014-15 से राज्यों के केंद्रीय करों और शुल्कों के हिस्से के अंतरण का वर्षवार विवरण।

वित्तीय वर्ष	(₹ लाख करोड़ में)
2014-15	3.38
2015-16	5.06
2016-17	6.08
2017-18	6.73
2018-19	7.61
2019-20	6.51
2020-21	5.95
2021-22	8.83
2022-23	9.48
2023-24	11.29
2024-25(संशोधित आकलन)	12.87
2025-26(बजट आकलन)	14.22

प्रमुख उपकरों के तहत संग्रह और उपयोग

1. प्रारंभिक शिक्षा कोष (पी.एस.के.), माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एम.यू.एस.के.) और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पी.एम.एस.एस.एन.)

(करोड ₹में)

वर्ष	संग्रह(स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर) (क)	(अन्तरण/उपयोग) (ख)	शेष (क) – (ख)
2014-15	36178.49	22323.19	13855.30
2015-16	28023.03	19298.16	8724.87
2016-17	30248.07	19732.47	10515.60
2017-18	31656.11	19139.80	12516.31
2018-19	41309.08	37836.88	3472.20
2019-20	39240.55	41308.40	-2067.85
2020-21	35894.82	70735.46	-34840.64
2021-22	52750.27	78286.97	-25536.70
2022-23	61813.92	70589.27	-8775.35
2023-24	71158.60	80009.96	-8851.36
2024-25 (संशोधित आकलन)	85300.00	87198.73	-1898.73
2025-26 (बजट आकलन)	94000.00	103000.00	-9000.00
कुल योग	**607572.94**	**649459.29**	**-41886.35**

#आरक्षित निधि अर्थात माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष (मस्क) और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) को दिसंबर, 2022 में सी एंड एजी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 से चालू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मस्क के तहत और वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पीएमएसएसएन के तहत अंतरित राशि संबंधित वर्ष (वर्षों) से संबंधित संशोधित आकलन के अनुसार है।

2. **केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि**

(करोड ₹ में)

वर्ष	संग्रह* (सडक एवं अवसंरचना उपकर) (क)	(अन्तरण/ उपयोग) (ख)	शेष(क)-(ख)
2014-15	25121.95	25777.94	-655.99
2015-16	69539.98	43175.10	26364.88
2016-17	72399.53	51853.58	20545.95
2017-18	83132.29	58521.63	24610.66
2018-19	110847.16	62879.64	47967.52
2019-20	122424.32	90252.40	32171.92
2020-21	235782.55	182363.47	53419.08
2021-22	195986.96	251738.18	-55751.22
2022-23	59234.95	239646.25	-180411.30
2023-24	44552.49	47777.66	-3225.17
2024-25 संशोधित आकलन	45250.00	39777.90	5472.10
2025-26 (बजट आकलन)	47420.00	41000.00	6420.00
कुल योग	**1111692.18**	**1134763.75**	**-23071.57**

** इसमें पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क शामिल है, जिसे 'सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर' की शुरुआत से पहले 'सड़क उपकर' के रूप में जाना जाता था।*

3. राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष

(करोड ₹में)

वर्ष	संग्रह [राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क] (क)	(अंतरण/ उपयोग) (ख)	शेष (क)-(ख)
2014-15	3732.55	3460.88	271.67
2015-16	5172.93	5695.70	-522.77
2016-17	6426.20	6450.00	-23.80
2017-18	2938.44	3660.00	-721.56
2018-19	1797.80	2500.00	-702.20
2019-20	2380.44	2480.00	-99.56
2020-21	5098.81	5820.00	-721.19
2021-22	6138.30	6134.60	3.70
2022-23	7168.30	8000.49	-832.19
2023-24	7812.25	8801.21	-988.96
2024-25 (संशोधित आकलन)	9610.00	9610.00	0.00
2025-26 (बजट आकलन)	10380.00	10380.00	0.00
कुल योग	**68656.02**	**72992.88**	**-4336.86**

4. कृषि अवसंरचना और विकास निधि

(करोड ₹में)

वर्ष	संग्रह [कृषि और अवसंरचना शुल्क] (क)	(अंतरण/ उपयोग) (ख)	शेष (क)-(ख)
2021-22	76950.68	...	76950.68
2022-23	74142.03	...	74142.03
2023-24	80923.60	120714.39	-39790.79
2024-25 (संशोधित आकलन)	75180.00	138822.37	-63642.37
2025-26 (बजट आकलन)	80030.00	117676.85	-37646.85
कुल योग	**387226.31**	**377213.61**	**10012.70**

** वित्त अधिनियम, 2021 के अनुसरण में उपकर लगाया जा रहा है।*

5. तेल उद्योग विकास निधि

(करोड ₹ में)

वर्ष	संग्रह [कच्चे तेल पर उपकर] (क)	(अंतरण/ उपयोग) (ख)	शेष (क)-(ख)
2014-15	14677.24	...	14677.24
2015-16	14468.94	...	14468.94
2016-17	12778.20	...	12778.20
2017-18	14246.20	...	14246.20
2018-19	18556.09	...	18556.09
2019-20	15800.92	...	15800.92
2020-21	11474.15	...	11474.15
2021-22	19324.29	...	19324.29
2022-23	21629.22	...	21629.22
2023-24	18803.41	...	18803.41
2024-25 (संशोधित आकलन)^	17810.00	17730.00	80.00
2025-26 (बजट आकलन)^	19330.00	19376.03	-46.03
कुल योग	**198898.66**	**37106.03**	**161792.63**

 # तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के तहत उपकर लगाया जा रहा है।

^ भारत के लोक खाते में आरक्षित निधि को, हालांकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे के लिए चालू किया गया है।

** वित्तीय वर्ष 2022-23 तक का संग्रह डेटा तेल उद्योग विकास बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 से लिया गया है।*

6. वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि

(करोड ₹में)

वर्ष	संग्रह [जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर] (क)	(अंतरण/ उपयोग) (ख)	शेष (क)-(ख)
2014-15	...	...	...
2015-16	...	...	...
2016-17	...	...	...
2017-18	62611.59	56146.00	6465.59
2018-19	95080.71	54275.00	40805.71
2019-20	95553.09	153910.29	-58357.20
2020-21	85191.91	106317.00	-21125.09
2021-22	104768.66	110795.47	-6026.81
2022-23	125862.41	163506.29	-37643.88
2023-24	141436.16	143109.49	-1673.33
2024-25 (संशोधित आकलन)	153440.00	153440.00	...
2025-26 (बजट आकलन)	167110.00	167110.00	...
कुल योग	**1031054.53**	**1108609.54**	**-77555.01**